

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन

इन्दौर : 452 001

दिनांक 21 DEC 2016.

क्रमांक : परीक्षा / स्ववित्त / 2016 / 7845
/ / अधिसूचना / /

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर की स्ववित्त आधारित एम.बी.ए. (पूर्णकालीन) प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की जनवरी 2017 में प्रस्तावित परीक्षा के नियमित, ए.टी.के.टी. एवं ऐसे भूतपूर्व परीक्षार्थी जिन्हें समस्त विषय की परीक्षा में सम्मिलित होना है, के परीक्षा आवेदन-पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भरे जाना हैं। इस हेतु आवश्यक यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड पूर्ववत् ही रहेगा।

इसी प्रकार उक्त पाठ्यक्रम के उपरोक्त सेमेस्टर के 2008 बैच तक के ए.टी.के.टी. प्राप्त परीक्षार्थी (जिन्होंने परीक्षा में सम्मिलित होने की विशेष अनुमति प्राप्त की है) के परीक्षा आवेदन-पत्र पूर्व की भांति चालान के माध्यम से संस्थान स्तर पर जमा किये जावेंगे।

उपरोक्त समस्त परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने की तिथियां निम्नानुसार होगी:-

क्रं.	शुल्क विवरण	छात्र द्वारा महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन-पत्र/ऑनलाईन आवेदन पर एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क पर आवेदन-पत्र जमा कर उसका प्रिन्ट आउट आवश्यक प्रपत्र के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि	महाविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र/ऑनलाईन आवेदन पर ऑनलाईन प्रिन्ट आउट आवश्यक प्रपत्र के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत करने की तिथि
1	2	3	4
1	बिना विलम्ब शुल्क के	दिनांक 02/01/2017 तक	दिनांक 04/01/2017 तक
2	विलम्ब शुल्क रु 100/- सहित	दिनांक 07/01/2017 तक	दिनांक 10/01/2017 तक
3	कुलपति महोदय की विशेष अनुमति से विलम्ब शुल्क रु 750/- सहित	दिनांक 12/01/2017 तक	दिनांक 13/01/2017 तक
4	परीक्षा प्रारंभ होने के पांच दिन पूर्व तक पूर्णतः अंतिम रूप से कुलपतिजी की विशेष अनुमति से विलंब शुल्क रु 1000/- सहित परीक्षा आवेदन पत्र उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार ही जमा किये जा सकेंगे, जिन्हें संस्थान जमा होने के दूसरे दिन विश्वविद्यालय कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे।		

- (2) 2008 बैच तक के ए.टी.के.टी. परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन-पत्र एवं चालान देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाईट www.dauniv.ac.in से डाउनलोड कर महाविद्यालय में प्रस्तुत करें। बैंक में चालान जमा करते समय बैंक द्वारा प्रदत्त स्कूल नम्बर चालान नम्बर के स्थान पर भरकर चालान परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ जमा करें।
- (3) परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश संलग्न है। कृपया इनका पालन सुनिश्चित किया जावे।
- (4) परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क विवरण संलग्न है।
- (5) आवेदन-पत्र/प्रिन्टआउट के साथ अपने पूर्ववर्ती सेमेस्टर की समस्त अंकसूची की प्रतिलिपि आवश्यक रूप से संलग्न करें। महाविद्यालय/संस्थान अभिलेख संलग्न होने का सुनिश्चित होने के पश्चात् ही आवेदन/प्रिन्टआउट विश्वविद्यालय की ओर अग्रेषित करें। यह महाविद्यालय/संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
- (6) परीक्षार्थी अगले सेमेस्टर की नियमित परीक्षा में तब ही सम्मिलित हो सकेगा जब उसकी समस्त सेमेस्टर गिलाकर ए.टी.के.टी. की संख्या चार या चार से कम होगी। ए.टी.के.टी. की संख्या चार से अधिक होने पर छात्र परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये अपात्र होगा। संस्थान यह सुनिश्चित करे की अपात्र परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो, यह संस्थान प्रमुख की जिम्मेदारी होगी। संस्थान द्वारा ऐसे परीक्षार्थियों का परीक्षा आवेदन ऑनलाईन अनुमोदित नहीं किया जावे।
- (7) परीक्षा आवेदन के प्रिन्ट आउट जमा करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षार्थी द्वारा अपने संस्थान में ऑनलाईन प्रिन्ट आउट जमा नहीं करने पर संस्थान की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने स्तर पर छात्र के ऑनलाईन आवेदन का प्रिन्ट आउट निकलवाकर सत्यापित कर अवश्य अभिलेख के साथ विश्वविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें अन्यथा विलम्ब शुल्क के साथ ही प्रिन्ट आउट स्वीकार किया जावेगा।

(10) जिन परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाईन भरे जा रहे हैं उनके आंतरिक अंक एम.पी. ऑनलाईन से ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य माध्यम से प्राप्त आंतरिक अंकों पर विचार नहीं किया जावेगा। इस संबंध में अनावश्यक पत्राचार भी नहीं करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

पृष्ठा क्र: परीक्षा/स्ववित्त/2016/ 7845
प्रतिलिपि :-

दिनांक :

21 DEC 2016

परीक्षा नियंत्रक

1. श्रीमान सम्पादक महोदय, दैनिक -----इन्दौर की और भेजकर निवेदन है कि वे इस समाचार को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचार वृत्त के रूप में निःशुल्क प्रकाशित कर अनुग्रहित करें।
2. समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, संबंधित महाविद्यालय की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस निवेदन के साथ अग्रेषित की वे उपरोक्त कॉलम चार में दर्शायी तिथि को परीक्षा आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद विश्वविद्यालय कॉलम दो के शुल्क के साथ आवेदन-पत्र मान्य नहीं करेगा।
3. संकायाध्यक्ष, छात्र-कल्याण,
4. समस्त अधिकारी, अनुभाग अधिकारी,
5. कुलपतिजी के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
6. परीक्षा/गोपनीय विभाग के संबंधित सहायक
7. प्रभारी नेट, आई.टी.सेन्टर,
8. प्रभारी टंकण कक्ष
9. पूछताछ कक्ष, की और सूचनार्थ अग्रेषित।
10. प्रभारी, मुद्रणालय दे.अ.वि.वि., इंदौर


परीक्षा शुल्क निम्नानुसार रहेगा

क्र.	कक्षा	परीक्षा शुल्क
1	स्नातक स्तर के लिए	रु. 1650/-
2	स्नातकोत्तर स्तर के लिए	रु. 3388/-
3	ए.टी.के.टी. (एक विषय के लिए)	रु. 693/- (स्नातक स्तर के लिए)
4	ए.टी.के.टी. (दो विषय के लिए)	रु. 1392/- (स्नातक स्तर के लिए)
5	ए.टी.के.टी. (एक विषय के लिए)	रु. 847/- (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)
6	ए.टी.के.टी. (दो विषय के लिए)	रु. 1694/- (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)
7	दो से अधिक विषयों के लिए	पूर्ण शुल्क अर्थात् निम्नानुसार रु. 1650/- (स्नातक स्तर के लिए) रु. 3388/- (स्नातकोत्तर स्तर के लिए)


उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त सभी परीक्षार्थियों के लिए अनिवार्य शुल्क

क्र.	कक्षा	परीक्षा शुल्क
1	परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क	रु. 75/-
2	सूक्ष्म जाँच शुल्क	रु. 15/-
3	कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बुक बैंक कोष	रु. 05/-
4	अंकवृद्धि शुल्क	रु. 100/-
5	विश्वविद्यालय क्रिडा शुल्क	रु. 50/-
6	आकरिमक छात्र दुर्घटना शुल्क सहायता कोष	रु. 20/-
7	विकलांग छात्र सहायता कोष	रु. 20/-
8	छात्र कल्याण मण्डल कोष	रु. 50/-
9	अग्नेषण शुल्क केवल भूतपूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student)के लिए	रु. 30/- (अग्नेषण शुल्क चालान में वर्णित कॉलेज अन्य शुल्क में दर्शाया जावे)

टीप :- केवल भूतपूर्व छात्रों को अग्नेषण शुल्क के रूप में कुल रुपये 35/- जमा करना है। इसमें से अग्नेषण शुल्क रु. 05/- अग्नेषण अधिकारी (संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य) के पास जमा कर पावती लेना होगी। जबकि अग्नेषण शुल्क रु. 30/- विश्वविद्यालय के चालान फार्म में जमा करना होगा। जो विश्वविद्यालय द्वारा छात्र से संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को देय होगा।



परीक्षा नियंत्रक



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

21 DEC 2018

सेमेस्टर/स्ववित्त/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के परीक्षार्थियों के मार्गदर्शन हेतु आवश्यक निर्देश

1. परीक्षा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति/सूचना पत्र का अवलोकन करें।
2. परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र की पूर्ति स्वयं की जावे। आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य होने पर वा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा परीक्षा आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी परीक्षार्थी की होगी।
3. परीक्षार्थियों को चाहिये कि वे आवेदन-पत्र भरने से पूर्व सम्बन्धित परीक्षा के पाठ्यक्रम में दर्शायी गयी परीक्षा योजना आदि का अनुशीलन भली-भांति कर लें। वांछित जानकारी के अभाव में अथवा नियमों के सम्यक ज्ञान न होने से भी परीक्षा आवेदन-पत्र में त्रुटि या अपूर्णता पायी जाने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा जिसके लिये परीक्षार्थी त्वयं उत्तरदायी होगा। आवश्यक शुल्क, प्रवचन प्रमाण-पत्र, पात्रता प्रमाण-पत्र, अर्हतादायक अंकसूची का प्रमाणित-प्रति तथा नागरिकन के अभाव में भी परीक्षा आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है। अर्हतादायक परीक्षा की अंकसूची की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित होना चाहिये।
4. परीक्षार्थियों को संलग्न तालिका में दर्शाये अनुसार परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट बैंक में चालान द्वारा जमा करना चाहिये।
5. प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कम्प्यूटर-फार्म भरना अनिवार्य है।
6. केवल चालान द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने मात्र से परीक्षार्थी आवेदित परीक्षा हेतु पात्र नहीं हो जाता। परीक्षार्थी को परीक्षा आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक, निर्धारित शुल्क के चालान सहित जमा करना होगा। परीक्षार्थी महाविद्यालय से आवेदन पत्र जमा की प्रतीति प्राप्त करेगा।
7. यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित तिथि में परीक्षा शुल्क जमा कर दिया गया है परन्तु परीक्षा आवेदन-पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो ऐसे परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ उस समय लागू विलम्ब शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। किन्तु यदि कुलपति सभोदय की विशेष अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है तो ऐसे परीक्षा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
8. जो परीक्षार्थी भूतपूर्व परीक्षार्थी की हैसियत से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें उक्त परीक्षा की पुरानी सभी अंकसूचियों की सत्यापित प्रतियां संलग्न करके हुए परीक्षा आवेदन-पत्र में इस हेतु निर्धारित स्थान पर उत्तीर्ण विषयों के नाम एवं अंक भरे जाना अनिवार्य है।
9. परीक्षार्थी द्वारा मुख्य परीक्षा एवं ए. टी. के. टी. विषय की परीक्षा के लिये अनिवार्यतः पृथक-पृथक आवेदन-पत्र भरे जायें।
10. प्रत्येक नियमित परीक्षार्थी (प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर) जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे परीक्षा आवेदन-पत्र पर अपने पूर्ववर्ती सेमेस्टर का अनुक्रमिक लिखें। इसी प्रकार प्रत्येक भूतपूर्व परीक्षार्थी भी अपना पूर्व अनुक्रमिक लिखें। यही उनका वर्तमान परीक्षा का अनुक्रमिक भी होगा।
11. नियमित परीक्षार्थियों के साथ ही ए. टी. के. टी. की पात्रता रखने वाले परीक्षार्थी भी सैखान्तिक परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व सम्बन्धित संस्थान को अपने असाइनमेंट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें एवं आन्तरिक मूल्यांकन / सतत मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं भी पूर्ण करें ताकि संस्थान उनके आन्तरिक मूल्यांकन / सतत मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय को समय पर प्रस्तुत कर सके। महाविद्यालय / संस्थान से आन्तरिक मूल्यांकन / सतत मूल्यांकन के अंक परीक्षा प्रारंभ होने के 15 दिवस पूर्व विश्वविद्यालय में पहुँचना अनिवार्य है। साथ महाविद्यालय / संस्थान से जानकारी प्राप्त कर लें कि उसके आन्तरिक मूल्यांकन / सतत मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय में भेज दिये गये हैं। आन्तरिक मूल्यांकन / सतत मूल्यांकन के अंक विश्वविद्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम तैयार करते समय अनुपस्थित दर्शाया जावेगा एवं निर्धारित तिथि के पश्चात् महाविद्यालय / संस्थान द्वारा भेजे गये अंक मान्य नहीं किये जायेंगे।
12. किन नियमों अथवा स्थितियों का इन निर्देशों में उल्लेख नहीं है उनके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अधिनियम तथा उसके अन्तर्गत निर्मित परिनियम एवं अध्यादेश के सम्बन्धित प्रावधान लागू होंगे।
13. परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन-पत्र एवं संलग्न कम्प्यूटर-फार्म में नाम, पिता का नाम इत्यादि की जानकारी अर्हतादायी परीक्षा की अंकसूची के अनुसार ही भरना अनिवार्य है।